



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042026-272076
CG-DL-E-25042026-272076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 2026/वैशाख 5, 1948

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 2026/VAISAKHA 5, 1948

मंत्रिमंडल सचिवालय

(सेवा तीर्थ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2026

सं० 511/1/1/2024-मंत्रि०.—मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 16.07.2024 की अधिसूचना संख्या 511/1/1/2024-मंत्रि. के क्रम में, प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित अनुमोदन किया है:

- अ. श्री अशोक कुमार लाहिड़ी की नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अगले आदेशों तक, उन्हीं निबंधन और शर्तों पर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पर लागू होती हैं।
- ब. नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अगले आदेशों तक, उन्हीं निबंधन और शर्तों पर जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों पर लागू होती हैं:

- श्री राजीव गौबा
- प्रो. के. वी. राजू
- प्रो. गोबर्धन दास

- iv. प्रो. अभय करंदीकर
v. डॉ. एम. श्रीनिवास
- स. पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित वही रहेंगे जो अधिसूचना संख्या 511/1/1/2024-मंत्रि० दिनांक 16.07.2024 में हैं।

अनीता त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Seva Teerth)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2026

No. 511/1/1/2024-Cab.— In continuation of Cabinet Secretariat's notification No. 511/1/1/2024-Cab. dated 16.07.2024, the Prime Minister has approved the following:

- a. Appointment of Shri Ashok Kumar Lahiri as Vice Chairperson, NITI Aayog with effect from the date of assumption of charge and until further orders, on the same terms and conditions as are applicable to Vice Chairperson, NITI Aayog.
- b. Appointment of the following persons as Full-time Members, NITI Aayog with effect from the date of assumption of charge and until further orders, on the same terms and conditions as are applicable to Full-time Members, NITI Aayog:
- i. Shri Rajiv Gauba
ii. Prof. K. V. Raju
iii. Prof. Gobardhan Das
iv. Prof. Abhay Karandikar
v. Dr. M. Srinivas
- c. The Ex-officio Members and Special Invitees will remain same as in the notification No. 511/1/1/2024-Cab. dated 16.07.2024.

ANITA TRIPATHI, Jt. Secy.